No.42/2/2008-P&PW (G) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Pension & Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, New Delhi, the 19th March, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of dearness relief to Central Government pensioners/family pensioners - Revised rate effective from 01.01.2008.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/2/2007-P&PW (G) dated 18.09.2007 sanctioning the installment of Dearness Relief (DR) admissible from 01.07.2007 and to say that the President is pleased to decide that DR shall be paid to the Central Government Pensioners/Family Pensioners to compensate them for the rise in cost of living at the rate of 47% w.e.f. 01.01.2008 in supersession of the rate mentioned in the OM dated 18.09.2007 referred to above.

- 2. These orders apply to (i) All Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners (ii) The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates, (iii) All India Service pensioners (iv) Railway pensioners and (v) The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government pensioners from Pakistan, who are Indian Nationals but receiving pension on behalf of Government of Pakistan, who are in receipt of ad-hoc ex-gratia allowance of Rs.1275/- p.m. in terms of this Department's OM No. 23/1/97-P&PW(B) dated 23.02.1998.
- 3. Central Government Employees who had drawn lumpsum amount on absorption in a PSU/Autonomous body and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension as well as revision of the restored amount in terms of this department's OM No. 4/59/97-P&PW (D) dated 14.07.1998 will also be entitled to the payment of DR @ 47% w.e.f. 01.01.2008 on full pension i.e. the revised pension which the absorbed employee would have received on the date of restoration had he not drawn lumpsum payment on absorption and Dearness Pension subject to fulfilment of the conditions laid down in para 5 of the O.M. dated 14.07.98. In this connection instructions contained in this Department's O.M. No.4/29/99-P&PW(D) dated 12.7.2000, O.M. No.4/31/2000-P&PW(D) dated 16.1.2001 and O.M. No.4/79/2006-P&PW(D) dated 6.9.2007 refers.
- 4. The surviving CPF beneficiaries who had retired from service between the period 18.11.1960 to 31.12.1985 and are in receipt of Ex-gratia @ Rs.600/- p.m. with effect from 01.11.1997 under this Department's O.M. No.45/52/97-P&PW (E) dated 16.12.1997 are entitled to Dearness Relief @ 47% w.e.f. 01.01.2008.
- The following categories of CPF beneficiaries who are in receipt of Ex-gratia payment in terms of this department's OM No.45/52/97-P&PW (E) dated 16.12.1997 will be paid DR @ 39% w.e.f. 01.01.2008.

...2/-

- (i) The widows and dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs.605/- p.m.
- (ii) Central Government Employees who had retired on CPF benefits before 8.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs.654/-, Rs.659/-, Rs.703/- and Rs.965/-.
- 6. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
- 7. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 02.07.1999. The provisions relating to regulation of DR where pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.
- 8. In the case of retired Supreme Court and High Court Judges necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.
- It will be the responsibility of the pension disbursing authority, including the nationalised banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.
- 10. The offices of Accountant General and Authorised Public Sector Banks are requested to arrange payment of relief to pensioner etc. on the basis of above instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No.528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.
- 11. In their application to the pensioners/family pensioners belonging to Indian Audit and Accounts Department these orders issue in consultation with the C&AG.
- 12. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their U.O. No1(4)/EV/2004 dated 19.3.2008.

(M.P. SINGH) DIRECTOR (PP) T.NO. 24624802

de

To,
All Ministries/Departments to the Government of India/Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.

Please visit http://persmin.gov.in/pension for the orders on pension matters including above orders.

संख्या-42/2/2008-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली, दिनांक : 19 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2008 से महंगाई राहत की संशोधित दरें प्रदान करना ।

मुझे दिनांक 01-07-2007 से देय महंगाई राहत की संशोधित दरों की मंजूरी संबंधी, इस विभाग के दिनांक 18-09-2007 के का० ज्ञा० सं० 42/2/2007-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 18-09-2007 के कार्यालय ज्ञापन में दी हुई दरों के अधिक्रमण में दिनांक 01-01-2008 से 47% की दर पर महंगाई राहत दी जाए ।

- 2. ये आदेश इन पर लागू हैं (1) केन्द्र सरकार के सभी सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों (2) सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से पेंशन प्राप्त करने वाले सिविलियन पेंशनभोगियों (3) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगियों (4) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (5) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों और पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के कुटुम्ब, जो भारतीय नागरिक हैं, किन्तु पाकिस्तान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और इस विभाग के दिनांक 23-02-1998 के का० ज्ञा० सं० 23/1/97-पी. एण्ड पी. डब्ल्यू.(बी) के अनुसरण में 1275/-रुपये प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता ले रहे हैं।
- 3. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी, जिन्होंने सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में संविलयन होने पर, एकमुश्त राशि आहरित कर ली थी तथा इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के का० ज्ञा० सं० 4/59/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(डी) के अनुसरण में पेंशन के एक तिहाई सारांशीकृत भाग की बहाली के साथ-साथ बहाल राशि के संशोधन के हकदार हो गये हों, 01-01-2008 से, पूर्ण पेंशन पर अर्थात् बहाली की तारीख को संशोधित पेंशन जिसके हकदार संविलित कर्मचारी होते यदि वे संविलियन के समय एकमुश्त राशि आहरित न करते, 47% की दर पर महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे, बशर्ते कि वे दिनांक 14.07.98 के का० ज्ञा० सं० के पैरा 5 में दी हुई शर्तें पूरी करते हों । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.07.2000 के का० ज्ञा० सं० 4/29/99-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(डी) दिनांक 16.01.2001 के का० ज्ञा० सं० 4/31/2000-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (डी) एवं दिनांक 6-09-2007 के का० ज्ञा० सं० 4/79/2006-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(डी) में निहित अनुदेशों को देखें ।
- 4. जीवित अंशदायी भविष्य निधि के लाभग्राही, जो 18.11.1960 से 31.12.1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए और इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के का० ज्ञा० सं० 45/52/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(ई) के तहत 01.11.1997 से 600/- रु० प्रतिमाह की दर से अनुग्रह भुगतान ले रहे हैं, दिनांक 01-01-2008 से 47% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं ।
- 5. इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के 45/52/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(ई) के अनुसरण में, अनुग्रह भुगतान ले रहे, अंशदायी भविष्य निधि के लाभग्राहियों की निम्नलिखित श्रेणियों को 01-01-2008 से 39% की दर से महंगाई राहत देय होगी :-

- (i) 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त दिवंगत अंशदायी भविष्यनिधि के लाभग्राहियों की विधवायें तथा आश्रित बच्चे अथवा 01.01.1986 से पूर्व सेवा में रहते हुए मूत्यु को प्राप्त और 605/- रु० प्रतिमाह अनुग्रह भुगतान ले रहे हों ।
- (ii) अंशदायी भविष्यनिधि के लाभग्राहियों, केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये और 654/- रु०, 659/- रु०, 703/- रु० तथा 965/-रु० की अनुग्रह राशि ले रहे हों।
- 6. महंगाई राहत की अदायगी करते समय पैसों को पूर्णांकित करते हुए निकटतम रूप में बदल दिया जाए ।
- 7. नियोजित कुटुम्ब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में महंगाई राहत को विनियमित करने वाले अन्य उपलब्ध इस विभाग के दिनांक 02.07.1999 के का० ज्ञा० संख्या-45/73/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी) में निहित उपबंधानुसार विनियमित होंगे । एक से अधिक आहरित पेंशन के मामले, महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध वैसे ही रहेंगे ।
- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग के द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे ।
- 9. राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सिहत पेंशन संवितरण प्राधिकारियों की अब यह जिम्मेवारी होगी कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में महंगाई राहत की गणना करें ।
- 10. महालेखाकारों तथा सार्वजिनक क्षेत्र के प्राधिकृत बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को सम्बोधित दिनांक 23.04.1981 के पत्र संख्या 528-टी.ए.11/84-80-11 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके अधीनस्थ सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित दिनांक 21.05.1981 के पिरपत्र संख्या GANB संख्या 2958/GA-64(ii)(CGL)/81 को देखते हुए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपयुक्त आदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने की व्यवस्था करें।
- 11. जहाँ तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा के विभाग के कर्मचारियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश नियमंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किये जाते हैं ।
- 12. इसे, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 19.03.2008 की उनकी अ.टि.सं० 1(4)/ ईV/2004 के अंतर्गत दी गई सहमित से जारी किया जा रहा है ।

रम. पा. ासः निदेशक

सेवा में.

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा महालेखा परीक्षकों को प्रेषित ।

"उपरोक्त आदेश तथा पेंशन संबंधी मामलों के अन्य निर्देशों हेतु वेबसाइट http://pension.gov.in/pension को देखें" ।